

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 218/2015

निर्णय दिनांक:- 15.12.2021

बुद्धराम बनाम चम्पा देवी आदि

दावा बाबत - स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट की व प्रतिवादी सं. 1 से 8 की ओर से श्री जगदेवसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.12.2021 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रसूलपुर अहीरान स्थित भूमि खसरा नम्बर 542 का क्षेत्रफल 0.65 है। मैं उभय पक्षकारान सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जेकाशत में दखलदांजी नही करे। एक -दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

